



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 11, 2011/वैशाख 21, 1933

No. 248]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 2011/VAISAKHA 21, 1933

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2011

सा.का.नि. 379(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियमावली, 2011 कहलाएंगे।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 में नियम 5 के उप-नियम (2) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(2) नियम (3) के उप-नियम (2) में संदर्भित कोई परिवीक्षार्थी परिवीक्षा की अवधि अथवा परिवीक्षा की विस्तारित अवधि, जैसा भी मामला हो, के भीतर अकादमी में अथवा राज्य प्रशिक्षण संस्थान में अथवा देश में किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान में, ऐसा प्रशिक्षण जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए, ऐसी अवधि हेतु प्राप्त करेगा :

बशर्ते कि जहां कोई परिवीक्षार्थी परिवीक्षा की अवधि अथवा परिवीक्षा की विस्तारित अवधि, जैसा भी मामला हो, के भीतर ऐसे प्रशिक्षण को प्राप्त नहीं करता है, उसे राज्य सिविल सेवा में उसके मूल पद पर प्रत्यावर्त कर दिया जाएगा”।

[फा. सं. 11058/01/2002-अ.भा.से.-III]

दीप्ति उमाशंकर, निदेशक (सेवाएं)

पाद टिप्पण :—मुख्य नियम संख्या सा.का.नि. 152(अ), दिनांक 8 सितम्बर, 1954 द्वारा अधिसूचित किए गए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

क्र. सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
(1)	(2)	(3)
(i)	13/01/57-अ.भा.से. (III)	17 मार्च, 1958
(ii)	2/1/61-अ.भा.से. (I)	5 जून, 1961

(1)	(2)	(3)
(iii)	165	2 फरवरी, 1963
(iv)	1163	22 अगस्त, 1964
(v)	101	28 जनवरी, 1967
(vi)	944	24 जून, 1967
(vii)	1426	3 अगस्त, 1968
(viii)	1882	26 अक्टूबर, 1968
(ix)	4/36/65-अ.भा.से. (III)-क	6 मई, 1969
(x)	1216, 1219	24 मई, 1968
(xi)	1086	23 अगस्त, 1969
(xii)	22/4/71-अ.भा.से. (III)-क	21 अगस्त 1971
(xiii)	13/4/71-अ.भा.से. (I)	11 जनवरी, 1972
(xiv)	388	1 अप्रैल, 1972
(xv)	1248	22 सितम्बर, 1972
(xvi)	471	18 मई, 1974
(xvii)	22/2/71-अ.भा.से. (III)-क	15 जून, 1974
(xviii)	39	2 जनवरी, 1975
(xix)	904	26 जून, 1976
(xx)	1019	17 जुलाई, 1976
(xxi)	1360	25 सितम्बर, 1976
(xxii)	1767	25 दिसम्बर, 1976
(xxiii)	1397	2 अक्टूबर, 1976
(xxiv)	11037/6/77-अ.भा.से. (III)	10 जून, 1978
(xxv)	453	9 मई, 1981
(xxvi)	555	30 जुलाई, 1983
(xxvii)	11037/3/86-अ.भा.से. (III)	25 अगस्त, 1986
(xxviii)	639	23 जून, 1989
(xxix)	638(अ)	23 जून, 1989
(xxx)	11037/2/98-अ.भा.से. (III)	7 जून, 1999
(xxxi)	354	14 सितम्बर, 2002